



D — जिला प्रशासन, कल्याण एवं भागीदारी

पंचायत / खंड विकास कार्यालय

यह संस्थान क्या है

खंड विकास कार्यालय (BDO कार्यालय) ग्रामीण भारत के लिए सबसे निकट की सरकारी प्रशासनिक इकाई है, जो जिला मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत के बीच स्थित होती है। ग्रामीण युवाओं के लिए, यहीं पर अधिकांश सरकारी योजनाएँ क्रियान्वित होती हैं — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 / विकसित भारत- जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 के अधीन जॉब कार्ड, ग्रामीण आवास (PMAY-G), पंचायत प्रमाण पत्र तथा खंड-स्तरीय आजीविका कार्यक्रम। प्रत्येक जिले में अनेक खंड होते हैं, तथा प्रत्येक खंड 50-150 गाँवों को कवर करता है, जिन्हें ग्राम पंचायतों में समूहित किया गया है। यदि आप किसी गाँव में रहते हैं तथा आपको जॉब कार्ड, आवास आवेदन अथवा कोई ग्रामीण विकास सेवा चाहिए, तो BDO कार्यालय आपका पहला पड़ाव है।

यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आपको VB-G RAM G / मनरेगा जॉब कार्ड चाहिए, PMAY-G के अन्तर्गत ग्रामीण आवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अथवा खंड स्तर पर सत्यापित किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो ये सेवाएँ यहीं संसाधित होती हैं। ग्राम सभा — गाँव की वह सभा जहाँ विकास संबंधी निर्णयों पर चर्चा होती है — भी इसी प्रणाली के अधीन आती है।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
73वाँ संविधान संशोधन	त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना
विकसित भारत- जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 (जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का स्थान लिया)	125 दिवस के गारंटीशुदा ग्रामीण रोजगार का प्रावधान — खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं
PMAY-ग्रामीण दिशानिर्देश	ग्रामीण आवास सब्सिडी — खंड कार्यालय लाभार्थियों की निगरानी करता है
16वाँ वित्त आयोग अनुदान (2026-31)	ग्राम पंचायतों को आबद्ध एवं अनाबद्ध अनुदान; ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों का 90% ग्राम पंचायतों को, 10% खंड एवं जिला पंचायतों को
राज्य पंचायती राज अधिनियम	पंचायत चुनावों एवं कार्यों के लिए राज्य-विशिष्ट नियम

त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति / खंड पंचायत है। राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत, खंड विकास अधिकारी (BDO) इसके कार्यपालक अधिकारी / सचिव के रूप में कार्य करते हैं, जो निर्वाचित खंड प्रमुख / पंचायत समिति अध्यक्ष से अलग होते हैं।

- केंद्र:** ग्रामीण विकास मंत्रालय / पंचायती राज मंत्रालय
- राज्य:** राज्य सरकार → जिला कलेक्टर / मुख्य विकास अधिकारी (CDO)
- खंड:** खंड विकास अधिकारी (BDO) — खंड के प्रशासनिक प्रमुख; पंचायत समिति (खंड पंचायत) के कार्यपालक अधिकारी
- गाँव:** ग्राम प्रधान (सरपंच) + ग्राम पंचायत सचिव + ग्राम रोजगार सहायक
- वित्त-पोषण:** VB-G RAM G / मनरेगा तथा ग्रामीण विकास निधियाँ केंद्र → राज्य → जिला → खंड के माध्यम से प्रवाहित होती हैं; 16वें वित्त आयोग के अनुदान (2026-31) मुख्यतः ग्राम पंचायतों (90%) को जाते हैं, तथा 10% खंड एवं जिला पंचायतों को



प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
खंड विकास अधिकारी (BDO)	खंड के प्रमुख – योजना क्रियान्वयन, पंचायतों को धनराशि का निर्गमन, खंड योजना
खंड-स्तरीय विस्तार अधिकारी	खंड स्तर पर तैनात कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा अधिकारी
BDO के अधीन खंड-स्तरीय विस्तार संवर्ग	पदनाम राज्य के अनुसार बदलते हैं – सहायक विकास अधिकारी / पंचायत अधिकारी / विस्तार अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव	गाँव स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी – VB-G RAM G मस्टर रोल, पेंशन सूचियाँ, प्रमाण पत्र सत्यापन
ग्राम रोजगार सहायक	पंचायत स्तर पर VB-G RAM G सहायक – जॉब कार्ड, कार्य अभिलेख

अनिवार्य सेवाएँ

- खंड स्तर पर VB-G RAM G / मनरेगा का क्रियान्वयन: जॉब कार्ड जारी करना, कार्य आवंटन, मस्टर रोल रखरखाव, मजदूरी भुगतान
- ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन: PMAY-G (आवास), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP – पेंशन), स्वच्छ भारत (स्वच्छता)
- राज्य पंचायती राज अधिनियम द्वारा अनिवार्य आवृत्ति पर ग्राम सभा बैठकों को सुगम बनाना (सामान्यतः वर्ष में दो से चार बार; अनेक राज्यों में त्रैमासिक) तथा दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करना
- ग्रामीण निवासियों के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन: पहचान, निवास तथा आय
- जिला योजना में समाहित होने वाली खंड-स्तरीय विकास योजनाएँ तैयार करना

संबंधित योजनाएँ

- **VB-G RAM G / मनरेगा** – प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए न्यूनतम मजदूरी पर 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार
- **PMAY-ग्रामीण** – पक्के घर के बिना BPL परिवारों के लिए आवास सब्सिडी (1.20-1.30 लाख रुपये)
- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)** – वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांगता पेंशन
- **DAY-NRLM** – स्व-सहायता समूह (SHG) निर्माण एवं आजीविका; BMMU प्रायः BDO कार्यालय के साथ सह-स्थित
- **16वाँ वित्त आयोग अनुदान (2026-31)** – पाँच वर्षों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 4.35 लाख करोड़ रुपये; मूल अनुदान (80%) तथा निष्पादन अनुदान (20%); मूल अनुदान 50% अनाबद्ध + 50% स्वच्छता/ठोस-अपशिष्ट तथा जल प्रबंधन से आबद्ध; प्रवेश शर्तों के अधीन (गठित स्थानीय निकाय, खातों का सार्वजनिक प्रकटीकरण, समय पर राज्य वित्त आयोग)
- **SVAMITVA (स्वामित्व योजना – गाँवों का सर्वेक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण)** – पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की भागीदारी में, ड्रोन सर्वेक्षण तथा CORS-आधारित GIS के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का मानचित्रण करती है तथा ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड (अधिकार-अभिलेख दस्तावेज़) जारी करती है; ग्राम पंचायत एक नामित हितधारक है तथा खंड विकास अधिकारी / तहसीलदार जिला क्रियान्वयन शृंखला का हिस्सा होते हैं (सर्वेक्षण अधिसूचना, ज़मीनी सत्यापन, विवाद समाधान, कार्ड वितरण)

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: egramswaraj.gov.in – ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ, धनराशि आवंटन तथा ग्राम सभा अभिलेख

इसके अतिरिक्त: जिले की वेबसाइट पर "[जिले का नाम] खंड सूची" खोजें; खंड कार्यालय खंड मुख्यालय कस्बे में होता है

प्रमुख सुविधाएँ

एक खंड कार्यालय में होने चाहिए: nrega.nic.in तथा eGramSwaraj पोर्टल तक पहुँच के लिए इंटरनेट सहित क्रियाशील कंप्यूटर, एक रिसेप्शन क्षेत्र जहाँ नागरिक आवेदन प्रस्तुत कर सकें, तथा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आवास, पेंशन एवं अन्य योजनाओं की लाभार्थी सूचियाँ।



एक क्रियाशील खंड विकास कार्यालय कैसा दिखता है

- BDO कार्यालय कार्य-समय में खुला तथा कर्मचारियों से युक्त होता है
- एक युवा व्यक्ति बिना बार-बार आगमन के VB-G RAM G जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है
- ग्राम सभा अभिलेख पिछली तिमाही में आयोजित बैठकें दर्शाते हैं
- VB-G RAM G मजदूरी कार्य पूर्णता के 15 दिनों के भीतर भुगतान की जा रही है (विधिक अनिवार्यता)
- आवास, पेंशन एवं अन्य योजनाओं की लाभार्थी सूचियाँ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हैं
- ग्राम सभा कार्यवृत्तों में युवा प्रतिनिधियों अथवा युवा क्लबों का संदर्भ है

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। मामले के स्तर के अनुसार पहला संपर्क बिंदु खंड विकास अधिकारी (BDO) अथवा ग्राम पंचायत सचिव / सरपंच होते हैं। VB-G RAM G जॉब-कार्ड एवं मजदूरी संबंधी मामलों के लिए ग्राम रोजगार सहायक अग्रिम-पंक्ति में होते हैं।

सेवा के बाद। आगे की कार्यवाही जिला कलेक्टर / मुख्य विकास अधिकारी (विकास पक्ष), VB-G RAM G के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, तथा राज्य ग्रामीण विकास विभाग तक होती है। सामाजिक लेखापरीक्षा – VB-G RAM G कार्यों के लिए कम-से-कम छह माह में एक बार अनिवार्य (तथा ऐतिहासिक रूप से मनरेगा योजनाओं की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के अन्तर्गत अर्ध-वार्षिक) – ग्राम सभा द्वारा संचालित एक औपचारिक सामुदायिक निवारण मंच है।

बाहरी। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक समर्पित शिकायत पोर्टल write2rdminister.dord.gov.in तथा केंद्रीय-मंत्रालय शिकायतों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली CPGRAMS (pgportal.gov.in) संचालित करता है। VB-G RAM G-विशिष्ट शिकायतें nrega.nic.in के माध्यम से जाती हैं। PMAY-G शिकायतें pmayg.nic.in के माध्यम से मार्ग प्राप्त करती हैं। राज्य सूचना आयोग पंचायत अभिलेखों से संबंधित आरटीआई अपीलें सँभालता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) सामाजिक-लेखापरीक्षा परिणामों की लेखापरीक्षा करते हैं।

—